तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2025	उभय पक्षकारान् के अधिवक्ता उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सीपीसी पेश किया, नकल दिलाई गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्रों में उल्लेखित आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया किः– विवादित जमीन ग्राम पादुकलां में स्थित है जिसका गूगल नक्शा प्रतिवादी पेश करता है। वादीया ने एक वाद पेश किया है जिसमें यह कथन किया है कि विवादित मकान वादिया का है। खतौनी की नकल में वादिया की जमीन खसरा नं. 882 है जिसमें कोई मकान बना हुआ नहीं है जो जमीन आधा बीघा है व खसरा नं. 881 प्रतिवादी राजमल का पेट्रोल पम्प बना हुआ है जो जमीन एक बीघा है व खसरा नं. 880 है जिसमें प्रतिवादी राजमल का मकान बना हुआ है जो जमीन सवा बीघा है, जिसमें मकान प्रतिवादी राजमल का बना हुआ है। वादिया जिस जगह अपना मकान बतला रही है वह जमीन वादिया की नहीं है, जो गूगल नक्शा में दर्शित है। इसलिए यह गूगल नक्शा अत्यन्त ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिस पर किसी प्रकार से संदेह नहीं किया जा सकता है इसलिए इस गूगल नक्शा को प्रतिवादी की शहादत में रेकर्ड पर लिया जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे और प्रतिवादी द्वारा पेश गूगल नक्शा को प्रतिवादी की शहादत में रेकर्ड पर लिया जावे जिससे प्रतिवादी को सही न्याय मिल सके। उक्त तर्कों का विरोध कर विद्वान अधिवक्ता वादीनी ने जवाब प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किये कि– प्रतिवादी बिना किसी प्रमाणिकरण के अपने अपने स्तर पर दस्तावेज तैयार कर पेश कर रहा है। गुगल नक्शा मे हुई कोई तकनीकी गलती से वादीनी के अधिकार खत्म नहीं हो सकते बकाया पैरा गलत होने से अस्वीकार है। वादीनी वाद में मकान को अपना होना सही कथन किया है। वादीनी ने उक्त मकान प्रतिवादी से जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, जो तथ्य प्रतिवादी राजमल द्वारा करवाये गये रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज	

(बेचाननामा) से प्रमाणित है। प्रतिवादी ने वादीनी के हक में किय गये बेचान का आजतक भी चेलेन्ज नहीं किया है। इससे प्रतिवादी अपने द्वारा किये गये रजिस्ट्रर्ड बेचान से पाबन्द है। वादीनी ने प्रतिवादी से जरिये राजिस्ट्री के खातेदारी की भूमि में बने मकान का बेचाननामा करवाया। प्रतिवादी द्वारा किये गये बेचाननामा मे मकान के पडौस स्पष्ट दर्शित है और आज भी उसी पडौस के बीच विवादित मकान स्थित है। जहां तक प्रतिवादी द्वारा अलग खसरान का हवाला दिया गया है। यह खसरा नम्बर नये सेटमेन्ट में राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिये गये है। जिसमे कुछ अशुद्धी हो सकती है। मगर वादीनी ने जो मकान क्रय किया वह उसी पडौस बीच में स्थित है। वादीनी ने दावा मकान के कब्जे बाबत किया है इसमे खातेदारी का कोई बिन्दू नही करना है। जहाँ तक गुगल मैप का प्रश्न है प्रतिवादी ने पूर्व में प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किया है और इस गुगल मेप से कोई राईट तय नहीं होने है क्योंकि उक्त दावा मात्र कब्जा स्थाई निषेधाज्ञा का है इसमें कोई अन्य बिन्दू विचारणीय नहीं है। जहां तक मकान का प्रश्न है प्रतिवादी स्वयं मकान होना व उसका बेचान करना स्वीकार करता है. बकाया पैरा गलत होने से अस्वीकार है। अतः जबाब प्रार्थना–पर पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज करने के आदेश प्रदान करावें।

उभय पक्षकरान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। हस्तगत वादपत्र **बाबत बेदखली मकान व स्थाई निषेधाज्ञा का** वादीनी बाजूदेवी ने प्रतिवादी राजमल व अन्य के विरूद्ध **वर्ष 2015** को न्यायालय में प्रस्तुत किया है तथा प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किये जाने पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.2025 को पेश कर एक गुगल नक्शा प्रकरण में महत्वपूर्ण दस्तावेज होने से प्रकरण में लेने की प्रार्थन की गई है परन्तु उक्त गुगल नक्शा किसके मोबाईल फोन से किसके द्वारा किस दिनांक को लिया गया है इस संबंध में प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्ट अभिवचन वर्णित नही किये गये है तथा मोबाईल से प्राप्त किये गये दस्तावेज के संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र भी पेश नही है, न ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रतिवादी ने शपथ पत्र पेश किया है। अतः हस्तगत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

	जाना न्याय संगत प्रतीत नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण की पत्रावली संख्या 7 है अतः प्रतिवादी पक्ष को पाबंद किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से साक्ष्य पेश करे तथा गवाह उपस्थित आने की स्थिति में अधिवक्ता वादी जिरह हेतु तैयार है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य/ जिरह प्रतिवादी हेतु दिनांक 29.09.2025 को पेश हो। Srivastava अपर जिला न्यायाधीश मेड़ता	